

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोक
(सुश्री रजनी मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

95 / 2021
21.06.2021

प्रा0पत्र संख्या -
निर्णय दिनांक-

उनवान

श्रीमती भूरी देवी पत्नी शंकरलाल जाति मीना निवासी ग्राम देवलीतहसील उनियारा जिला टोक
- प्रार्थीया

बनाम

- प्रतिपक्षी

तहसीलदार उनियारा जिला टोक

प्रार्थना पत्र 128 भू राजस्व अधिनियम
उपस्थित:- श्री बेणी प्रसाद मीना वकील प्रार्थीया

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार है:-

यह कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे काशत की आराजी खसरा नम्बर 315
0.57, ख0न0 317 रकबा 2.98 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा जिला टोक में
है। जिस पर प्रार्थीया का निर्विघ्न एवं निर्विवाद रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है
के पडोसी काशतकारान द्वारा प्रार्थी को आए दिन परेशान करते हैं। जिससे आए दिन
उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। उक्त आराजीयात की पत्थरगढी किया जाना
आवश्यक हो गया है क्योंकि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की सीमाए बिगडी
उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाकर सीमाये निर्धारित किया जाना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रार्थीया की अधियाचना है कि प्रार्थीया के खातेदारी एवं कब्जे
आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 0.57, ख0न0 317 रकबा 2.98 है0 वाके ग्राम
उनियारा की पत्थरगढी कर सीमाये निर्धारित करने हेतु प्रतिपक्षी तहसीलदार
आदेश फरमाया जावे।

उक्त प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिपक्षी से जवाब लिया
प्रतिपक्षी तहसीलदार उनियारा को बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने
कार्यवाही अमल में लाई गई।



(Handwritten signature)


उप खण्ड अधिकारी
उनियारा

प्रार्थीया वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर गौर किया गया। प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 315 रकबा 0.57, ख0न0 317 रकबा 2.98 है0 वाके ग्राम देवली तह0 उनियारा देह खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी पर विवाद की संभावना के मध्य नजर पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाये जाने की वैधानिक अधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से न्यायालय प्रार्थीया की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी की पत्थरगढी करवाया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार उनियारा को आदेश दिया जाता है कि खसरा नम्बर 315 रकबा 0.57, ख0न0 317 रकबा 2.98 है0 वाके ग्राम देवली तहसील उनियारा का प्रार्थीया से नियमानुसार शुल्क जमा करवाकर पत्थरगढी करें। फरीकेन खर्चा अपना अपना वहन करे। पालनार्थ तहसीलदार उनियारा को तहरीर जारी हो एवं पालना रिपोर्ट पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।




सुश्री रजनी मीश्रा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा
जिला टोंक